भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1529

28/07/2026 को उत्तरार्थ

विषय- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि

1529. श्री इमरान मसूद:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के वास्तविक लाभों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने का अवसर प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है;

(घ) क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रभावी और एक समान खरीद प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई नई कार्ययोजना बना रही है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार द्वारा मई, 2026 में खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2026-27 हेतु 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की गई थी। उक्त खरीफ फसलों की खरीद सामान्यतः प्रतिवर्ष फसल कटाई उपरांत अक्टूबर-नवंबर माह से प्रारंभ की जाती है।

(ग) से (ङ.): प्रत्येक वर्ष सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात्, 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी उत्पादन लागत, घरेलू और विश्व बाजारों में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, फसलों के बीच मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

सरकार द्वारा अधिसूचित खरीद एजेंसियों के माध्यम से कृषि उपज की खरीद का प्रावधान किया गया है। कृषकों को अपनी उपज का विक्रय, अपनी सुविधा एवं हित के अनुसार, सरकारी खरीद एजेंसियों अथवा खुले बाजार में करने का विकल्प उपलब्ध है।

कुल उत्पादन में से, जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाता है, केवल विपणन योग्य अधिशेष ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होता है। सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। दलहन, तिलहन तथा कोपरा की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की छत्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत, संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा जब भी इन उपजों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिरता है, तब की जाती है। पीएम-आशा योजना के अंतर्गत खरीद एजेंसियाँ भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। सरकार द्वारा एमएसपी पर क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से कपास और जूट की खरीद भी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण एवं परिवहन आदि जैसी अन्य लॉजिस्टिक/इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले गए हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त, प्रमुख स्थानों पर अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। खरीद प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और पिछले कुछ वर्षों में, एमएसपी के तहत खरीद प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है ताकि सीधे एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में सुनिश्चित किया जा सके और राज्यों के खरीद पोर्टलों के साथ आधार और भूमि अभिलेखों को जोड़ा जा सके, जिससे किसानों को एमएसपी खरीद का सीधा लाभ मिल सके।

सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2030-31 तक दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है। घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकारों के अनुरोध पर, पीएम-आशा योजना के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई मात्रा के अनुसार तूर, उड़द और मसूर की खरीद की जा रही है।

सरकार कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए पीएम-आशा योजना का एक घटक बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) भी लागू करती है, जो नाशवान प्रकृति के उत्पाद होते हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन उत्पादों के बंपर फसल होने पर, आवक के चरम समय में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं, तब उत्पादकों को संकटग्रस्त बिक्री करने से बचाना है। प्रचलित पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में बाजार मूल्यों में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट होनी चाहिए। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है।

सरकार ने 2024-25 सत्र से बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत भावांतर भुगतान (पीडीपी) के एक नए घटक का आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत नाशवान फसलों के किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास फसल की भौतिक खरीद करने या किसानों को एमआईपी और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान का चयन करने का विकल्प है।

इसके अतिरिक्त, 2024-25 सत्र से, सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत एक और घटक जोड़ा है, जिसके तहत किसानों के हित में टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को की जाएगी, ताकि उन्हें उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक पहुंचाया जा सके।
